

निविदा सूचना

कु0म0वि0नि0लि0 नैनीताल में पंजीकृत (मद संख्या 01 को छोड़ते हुए) सिविल भवन सम्बन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 06.04.21 को अपरान्हन 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 26.03.21 से दिनांक 05.04.21 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निगम में किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है, तथा निविदा में किसी भी प्रकार का संसोधन भी निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
	निर्माण खण्ड					
1.	मुनस्यारी में पर्यटकों की सुविधा के लिए साईनेज लगाये जायेंगे	2360.00	50000.00	06 माह	01 माह	“बी” एवं उच्चतर
	निर्माण खण्ड (ई निविदा)					
2.	13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर में चौली की जाली का पर्यटन विकास का कार्य।					उक्त से सम्बन्धित सूचना <a href="http://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> में देखी जा सकती है।
3.	13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के मुक्तेश्वर में पर्यटक आवास गृह के समीप गार्डन के सौन्दर्यीकरण का कार्य।					उक्त से सम्बन्धित सूचना <a href="http://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> में देखी जा सकती है।
4.	13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में जसुली देवी धर्मशाला (सुयालबाड़ी) का जीणोद्धार का कार्य।					उक्त से सम्बन्धित सूचना <a href="http://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> में देखी जा सकती है।
5.	13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में भालूगाढ़ जल प्रपात का सौन्दर्यीकरण का कार्य।					उक्त से सम्बन्धित सूचना <a href="http://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> में देखी जा सकती है।
6.	13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में करकोटी की चोटी का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास के कार्य।					उक्त से सम्बन्धित सूचना <a href="http://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> में देखी जा सकती है।
7.	होम स्टे विकास योजना के अन्तर्गत प्यूड़ा, जनपद-नैनीताल में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य।					उक्त से सम्बन्धित सूचना <a href="http://www.uktenders.gov.in">www.uktenders.gov.in</a> में देखी जा सकती है।

शर्त:- किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं [www.kmvt.in](http://www.kmvt.in) में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संसोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

- 1-निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों (मद संख्या 01 को छोड़ते हुए) को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र कय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि निर्धारित प्रारूप में एफ0डी0आर0 के रूप में महाप्रबन्धक, कु0म0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2-निविदादाता को जी0एस0टी0, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3-निविदा के साथ रु0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रु0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 4-अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 5-निविदा में मात्राएं घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 7-अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 8-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 9-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
- 10-यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-सभी कार्या में निगम पर धन उपलब्धताअनुसार ही कार्य करवाये जायेंगे।
- 12-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 13-निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी। जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
- 14-ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि अलग-अलग कार्यों हेतु मूल में अलग-अलग जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- 15-कम संख्या (01) के कार्य लिये ICRAApproved Contractor प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 16-कम संख्या (01) के कार्य को करने वाली फर्म द्वारा अनुबन्धित कार्य का 2 वर्ष तक अनुसक्षण Maintenance करना अनिवार्य होगा।
- 17-कम संख्या (01) के कार्य के लिए सभी साईनेज आईटम IRC/IS कोड के अनुसार होंगे।
- 18- कम संख्या (01) के कार्य के लिए सप्लायर/फर्म को उत्तराखण्ड प्रोवयोरमेन्ट नियमावली का पालन करना होगा।
- 19- कम संख्या (01) के कार्य के लिए मैटीरियल/प्रोडक्ट का टैस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

महाप्रबन्धक